[TO BE PUBLISHED IN PART IV OF DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY]

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DIRECTORATE OF EDUCATION
OLD SECRETARIAT: DELHI – 110054

Dated 02.02.2016

NOTIFICATION

No.F.23 (7)/DE/RTE/2011/498-459 - In exercise of the powers conferred by section 38 and sub-section (1) of section 34 read with sub clause (B) of clause (ii) of sub-section (a) of section 2 of The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009), the Government of National Capital Territory of Delhi hereby constitutes the State Advisory Council as per the following composition:-

Chairperson

Ex-officio Members

1. Secretary (Education), Government of National Capital Territory of Delhi.

2. Director (Education), Government of National Capital Territory of Delhi.

3. Director, State Council of Educational Research and Training.


5. State Project Director (Sarv Shiksha Abhiyan).

6. Additional Director of Education (Schools), Directorate of Education, Government of National Capital Territory of Delhi shall be ex-officio Member Secretary of the Council.

Nominated Members

1. Prof. Venita Kaul, Professor and Director of School of Education Studies and Founder Director of Center for Early Childhood.
Education and Development (CECED), at Ambedkar University, Delhi.

2. Dr. Annie Koshi, Principal, St. Mary’s School, Delhi.

3. Mr. Akha Kaihrii Mao, Assistant Professor, School of Education Studies, Ambedkar University, Delhi.

4. Dr. D. Parimala, Assistant Professor, Central Institute of Education, University of Delhi.

5. Mr. Shailendra Kumar Sharma, Head of Operations, Pratham Education Foundation, Delhi.


7. Mr. Ravi Gulati, Founder, Manzil Welfare Society, Delhi.


The function of the State Advisory Council shall be to advise the State Government on implementation of the provisions of The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, in an effective manner. The Directorate of Education, Government of National Capital Territory of Delhi will serve as the Secretariat to the State Advisory Council.

The terms and conditions would be notified later.

The period of tenure of nominated members of State Advisory Council would be two years from the date of issue of this notification.

This notification replaces the previous notification on the subject dated 09/04/2014.

This issue with the prior approval of Hon’ble Minister of Education.

(Dr. Ashima Jain, IAS)
Additional Secretary (Education)
Copy to:-

1. Secretary, Department of School Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Government of India.

2. Principal Secretary to Hon’ble Lt. Governor, Delhi.

3. Officer on Special Duty to Chief Secretary, Government of National Capital Territory of Delhi.

4. Secretary (Education), Government of National Capital Territory of Delhi.

5. Director (Education), Government of National Capital Territory of Delhi.

6. Director (Education), Municipal Corporations of Delhi (East/North/South).

7. Director (Education), New Delhi Municipal Council.

8. Chief Executive Officer, Delhi Cantonment Board.


10. All Additional Director(s)/Regional Director(s)/Joint Director(s)/Deputy Director(s) of Education/Assistant Director(s) of Directorate of Education, Government of National Capital Territory of Delhi.


12. Office Superintendent (IT) with the request to place it on the website of the Department.


(Dr. Ashima Jain, IAS)
Additional Secretary (Education)
अविस्वार्थ

संकेत 23(07)/डीई/आरटीई/2011/444-455।—निष्कुल एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 2 की उपधारा (क) के खंड (ii) के उपखंड (ख) के साथ पहिली धारा 38 तथा धारा 34 की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार इसके द्वारा निम्नलिखित संरचना अनुसार राज्य सलाहकार परिषद गठित करती हैं—

अध्यक्ष

माननीय शिक्षा मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

पदेन सदस्य

1. सचिव (शिक्षा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
2. निदेशक (शिक्षा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. निदेशक, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद।
4. अध्यक्ष, दिल्ली बाल अधिकार संस्था आयोग।
5. राज्य परियोजना निदेशक (सर्व शिक्षा अभियान)।
6. अतिरिक्त शिक्षा निदेशक (स्कूल), शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, जो परिषद के पदेन सदस्य सचिव होंगे।

नामित सदस्य

1. प्रो॰ विनोद नारायण, प्रोफेसर एवं निदेशक शिक्षा अध्ययन विभाग एवं बच्चन शिक्षा एवं विकास केन्द्र की संस्थापक निदेशक, अम्बेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली।
2. डॉ॰ एनी कौशिक, प्रधानाध्यापन, गैंट मेडी स्कूल, दिल्ली।
3. श्री अखन कायाहर माउ, सहायक प्रोफेसर, शिक्षा अध्ययन विभाग, अम्बेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली।
4. डॉ० डॉ० परीमाला, सहायक प्रोफेसर, केन्द्रीय शिक्षा संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।
5. श्री शोलेन्द्र कुमार शर्मा, प्रधान अध्यक्ष, प्रथम शिक्षा फाउंडेशन, दिल्ली।
6. डॉ० धीर जीगरान, पूर्व निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
7. श्री संजीव मुलाटी, संस्थापक, मंजिल वैक्सियर सोसायटी, दिल्ली।
8. सुजीव अतिथी मरलीना, सलाहकार माननीय शिक्षा मंत्री, राष्ट्रीय राजस्वादनी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के उपरांत को प्रमाणी तरीके से लागू करने के संबंध में राज्य सरकार को सलाह देना राज्य सलाहकार परिषद का प्रकार्य होगा। शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजस्वादनी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, राज्य सलाहकार परिषद के सचिवालय के रूप में कार्य करेगा।

निवधन एवं शर्तें बाद में अधिसूचित की जायेगी।

राज्य सलाहकार परिषद के नामित सदस्यों के कार्यकाल की अवधि इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से दो वर्ष की होगी।

यह अधिसूचना दिनांक 09.04.2014 की पूर्ववर्ती अधिसूचना का स्थान लेगी।

यह माननीय शिक्षा मंत्री के पूर्व अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(डॉ० आशिमा जैन, आईएएस) अतिरिक्त सचिव (शिक्षा)

संकाय 23(07)/डॉ०/आईटीआई/2011/442-454

दिनांक: 02.02.2016

प्रशस्तिपी निम्न को :-
1. सचिव, स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
2. प्रशासन सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।
3. विशेष कार्याधिकारी, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजस्वादनी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
4. सचिव (शिक्षा), राष्ट्रीय राजस्वादनी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
5. निदेशक (शिक्षा), राष्ट्रीय राजस्वादनी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
6. निदेशक (शिक्षा), राष्ट्रीय राजस्वादनी क्षेत्र दिल्ली सरकार/दिल्ली नगर निगम (पूर्व/उत्तर/दक्षिण)।
7. निदेशक (शिक्षा), नई दिल्ली नगर पालिका परिषद।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिल्ली छावनी बोर्ड।
9. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
10. समस्त अतिरिक्त निदेशक/क्षेत्रीय निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप-निदेशक
    शिक्षा/सहायक निदेशक शिक्षा, शिक्षा निदेशालय।
11. समस्त शाखा प्रभारी, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
12. कार्यालय अधीक्षक (आईटी) को विभाग की वेबसाइट पर डालने के अनुरोध सहित।
13. गार्ड फाइल।

(डॉ० आशिमा जैन, आईएएस)
अतिरिक्त सचिव (शिक्षा)